# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 135-2025/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 5 अगस्त, 2025
(14 श्रावण, 1947 शक)

**विधायी परिशिष्ट**


| क्रमांक | विषय वस्तु | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **भाग–I** | **अधिनियम** | |
| | कुछ नहीं | |
| **भाग–II** | **अध्यादेश** | |
| | कुछ नहीं | |
| **भाग–III** | **प्रत्यायोजित विधान** | |
| | 1. अधिसूचना संख्या का०आ० 65/ह०अ017/2024/धा० 2/2025, दिनांक 5 अगस्त, 2025– सरकारी संगठन के प्रमुख को समुचित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करने बारे। | 3011—3012 |
| | 2. अधिसूचना संख्या का०आ० 66/ह०अ017/2024/धा० 2/2025, दिनांक 5 अगस्त, 2025– शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशस्त्र प्राधिकारी एवं अपील प्राधिकारी अधिसूचित करने बारे। | 3013—3014 |
| | 3. Notification No. S.O. 67/H.A. 17/2024/S. 10/2025, dated 5th August, 2025- The Haryana Contractual Employees (Security of Service) Rules, 2025. | 3015—3027 |
| | (केवल अंग्रेजी में) | |
| **भाग–IV** | **शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन** | |
| | कुछ नहीं | |

**भाग–III**

**हरियाणा सरकार**

मानव संसाधन विभाग
(मानव संसाधन–I शाखा)

**अधिसूचना**

दिनांक 5 अगस्त, 2025

**संख्या का०आ० 65/ह०अ017/2024/धा० 2/2025.–** हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 (2024 का 17) की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों हेतु सरकारी संगठन के प्रमुख को समुचित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करते हैं।

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

**HARYANA GOVERNMENT**

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
(Human Resources-I Branch)

**Notification**

The 5th August, 2025

**No. S.O. 65/H.A.17/2024/S. 2/2025.—** In exercise of the powers conferred under clause (b) of section 2 of the Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 (17 of 2024), the Governor of Haryana hereby notifies the Head of Government Organization to be the appropriate authority for the purposes of said clause.

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

12018—L.R.—H.G.P., Pkl.